बिहार पुलिस में किन्नरों की होगी सीधी नियुक्ति

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। बिहार पुलिस में किन्नरों की सीधी नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने संकल्प जारी कर किन्नरों या ट्रांसजेंडरों को पिछड़ा वर्ग अनुसूची (2) में शामिल किया है। इसके तहत सिपाही या दारोगा की आगामी नियुक्तियों में प्रत्येक 500 पदों पर एक ट्रांसजेंडर की सीधी नियुक्ति होगी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में गृह और सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे।

आगामी नियुक्ति के चरणों में 51 किन्नरों की पुलिस सेवा में सीधी नियुक्ति हो सकती है। सिपाही के लिए 41 और दारोगा के लिए 10 किन्नर या ट्रांसजेंडर को मौका मिलेगा। प्रत्येक 500 के स्लॉट में पिछड़ा वर्ग के रोस्टर बिंदु के विरुद्ध एक ट्रांसजेंडर की नियुक्ति होगी। योग्य ट्रांसजेंडर नहीं मिलने पर इसे पिछड़ा वर्ग कोटि के सामान्य उम्मीदवार से भरा जाएगा। बैठक के बाद इसकी अनुशंसा की गई है। बैठक में गृह विभाग सह सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद, गृह सचिव के सेंथिल कुमार, सामान्य प्रशासन विभाग के अपर सचिव महेंद्र कुमार व गृह विभाग विशेष शाखा के संयुक्त सचिव अनिमेष पांडेय उपस्थित थे।

51 किन्नरों की आगामी चरणों में सीधी नियुक्ति

- प्रत्येक 500 पदों पर एक किन्नर की सीधी नियुक्ति
- सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया संकल्प